ऑल इण्डिया मिल्ली काउंसिल द्वारा रविवार, दिनांक 28 फरवरी, 2016 को मावलंकर हॉल में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन ''शान्ति एवं न्याय की माँग और हमारी ज़िम्मेदारियाँ'' में पारित प्रस्ताव

ऑल इण्डिया मिल्ली काउंसिल (ए.आई.एम.सी.) के लिए शान्ति एवं न्याय का मुद्दा 1992 में हुई इसकी स्थापना के समय से ही इसके मुख्य उद्देश्यों में से एक रहे हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में काउंसिल ने तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें मुस्लिम, अन्य धर्मों, सामाजिक, राजनीतिक, विधिक एवं मानवाधिकार संगठनों के प्रतिनिधियों व अन्य हस्तियों ने भाग लिया और समय–समय पर उनमें प्रस्ताव पारित किए गए। ''शांति एवं न्याय की माँग और हमारी ज़िम्मेदारियाँ'' पर आयोजित यह राष्ट्रीय सम्मेलन भी उसी कड़ी से जुड़ने की एक कोशिश है।

(1) 2 अगस्त, 1994 को अम्बेडकर ऑडोटोरियम, ए. पी. भवन, नई दिल्ली, में आयोजित 'टाडा विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन, मई 1995 में सप्रू हाउस, नई दिल्ली में 'टाडा एवं क़ानून का राज राष्ट्रीय सम्मेलन, 15 नवम्बर, 2001 का राजेन्द्र भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन, 27 अप्रैल, 2008 को खालसा कॉलेज में आतंकवाद एवं न्याय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन, 31 मार्च, 2012 को मावलंकर हॉल, नई दिल्ली में मुस्लिम युवाओं की सुरक्षा पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन, 6 अप्रैल, 2013 को आयोजित 'न्याय के लिए आन्दोलन' राष्ट्रीय सम्मेलन और अपने वार्षिक सम्मेलनों की कड़ी में रविवार, दिनांक 28 फरवरी, 2016 को मावलंकर हॉल में आयोजित सम्मेलन में ऑल इण्डिया मिल्ली काउंसिल शान्ति एवं न्याय के लिए प्रयास करने हेतु अपने निश्चय व संकल्प को दोहराती है।

(2) 'यू.ए.पी.ए.' में 'टाडा' एवं 'पोटा' क़ानून के कुछ कठोर प्रावधानों को शामिल किए जाने तथा अन्य क़ानूनों पर चिन्ता व्यक्त करते हुए यह राष्ट्रीय सम्मेलन 'टाडा', 'पोटा', 'यू. ए.पी.ए.' तथा इसी तरह के अन्य क़ानूनों के तहत् दर्ज किए गए मामलों और उनके तहत् गिरफ़्तार किए गए लोगों की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट जारी करने की माँग करता है।

(3) आतंक के मामलों में सबूत के अभाव में अदालतों द्वारा तमाम अभियुक्तों की रिहाई का स्वागत करते हुए ए.आई.एम.सी. का यह राष्ट्रीय सम्मेलन उनके ससम्मान पुनर्वास और उनके उत्पीड़न के लिए ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ मुकद्दमा चलाने की माँग करता है।

(4) यह राष्ट्रीय सम्मेलन आई.एस.आई.एस. तथा इसी तरह के अन्य संगठनों की गतिविधियों की कड़े शब्दों में निंदा करता है।

(5) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में शांति की अपील करते हुए यह राष्ट्रीय सम्मेलन रोहित वेमुला तथा जे.एन.यू. की घटना के मामले में न्याय एवं परिसर में बाहरी लोगों के द्वारा राष्ट्र–विरोधी नारेबाज़ी की न्यायिक जाँच की माँग करता है।

(6) वंचित रहने, डर और असुरक्षा की भावना का एहसास करते हुए यह राष्ट्रीय सम्मेलन सरकार से, सत्तारूढ़ साझा सरकार द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (ए.एम.यू.) तथा जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जे.एम.आई.) जैसी जानी–मानी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के अल्पसंख्यक चरित्र के विरूद्ध राय देने के कारण उपजी अस्थिरता की धुंध से अल्पसंख्यक समुदाय में पैदा हुए भय को दूर करने की माँग करता है।

(7) राष्ट्रपति, माननीय श्री प्रणब मुखर्जी के भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) में परिवर्तन लाए जाने के आह्वान का स्वागत करते हुए यह राष्ट्रीय सम्मेलन पुलिस सुधारों और देशवासियों के विरूद्ध औपनिवेशिक सरकार द्वारा बनाए गए क़ानून ''अफप्सा (ए.एफ. एस.पी.)'' सहित सभी कठोर क़ानूनों की समीक्षा की माँग करता है।

(8) यह सम्मेलन सरकार से राष्ट्रदोह क़ानून के प्रावधानों की समीक्षा संविधान में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुरुप किए जाने की माँग करता है।

(9) ए.आई.एम.सी. का यह राष्ट्रीय सम्मेलन असहिष्णुता, अविश्वास व वैमनस्य के वातावरण को समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार से विशेष क़दम उठाने की माँग करता है।

(10) यह सम्मेलन यहाँ मौजूद श्रोताओं तथा भारत के सभी लोगों से देश में शान्ति एवं न्याय के प्रोत्साहन के लिए हर सम्भव प्रयास करने तथा उचित क़दम उठाने की अपील करता है।

(11) सबूतों के अभाव में लोगों के ख़िलाफ मामले दर्ज किए जाने की स्थिति में यह सम्मेलन न मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की माँग करता है।

(12) यह सम्मेलन भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर के उस कथन का स्वागत करता है जिसमें उन्होंने क़ानून के परिवर्तन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में हो रही देरी पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि ''सरकार की कार्य–प्रणाली का लेखा–परीक्षण करने का समय आ गया है''। ऐसे समय में जब लोग ''जेलों में बन्द पड़े हुए हैं और न्याय की गुहार कर रहे हैं'', मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गए सुझाव (न्यायाधीशों की नियुक्ति) की सरकार लम्बे समय तक अनदेखी नहीं कर सकती।